आदेश की क्रम सं० और तारीख

1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित

3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी,राजमहल।

पी0ए0 वाद सं0– 16/2014–15

आवेदक– जोगिन्दर पहाडिया

बनाम

16 आना रैयत, मौजा– सरसा पहाड़

आदेश

19.7.19

आवेदक द्वारा दिनांक 20.01.2015 को आवेदन दाखिल कर मौजा सरसा पहाड के प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु अनुरोध किया गया है। अंचल अधिकारी, तालझारी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी एवं 16 आना रैयतों से अनापत्ति आमंत्रित हेतु को विधिवत नोटिस निर्गत किया गया।

नोटिस तामिला प्राप्त। आवेदक ने आवेदन दाखिल कर मौजा सरसा पहाड के प्रधान बड़ा रूपा पहाडिया थे, दिनांक 10.08.2014 को पूर्व प्रधान बड़ा रूपा पहाडिया की मृत्यू हो चुकी है। पूर्व प्रधान के तीन पुत्र 1. बजा पहाडिया 2. मनमोहन पहाडिया एवं 3. जोगिन्दर पहाडिया हुए। दोनों बेटे क्रमशः बजा पहाडिया एवं मनमोहन पहाडिया प्रधानी कार्य से इनकार कर रहे है, जिससे पूर्व प्रधान का छोटा पुत्र जोगिन्दर पहाडिया प्रधानी पद के लिए उपयुक्त माना है एवं आवेदक पूर्व प्रधान के वंशज से आते हैं तथा पूर्व प्रधान के छोटे पुत्र जोगिन्दर पहाडिया को प्रधान पद पर बहाल हेतु अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने पत्रांक 30/रा0, दिनांक 28.01.2015 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये हैं कि मौजा सरसा पहाड के बहाल प्रधान बड़ा रूपा पहाडिया की मृतयू 06–07 महीने पूर्व हुई है। पूर्व बहाल प्रधान की पहली पत्नी बंगरी पहाडिन से दो पुत्र हुए एवं दूसरी पत्नी से एक पुत्र जोगिन्दर पहाडिय हुए एवं तीसरी पत्नी दोदरी पहाडिन वर्तमान में गोब्रिया पहाड में रहती है, जो बोरियो अंचल अंतर्गत आते हैं। मौजा सरसा पहाड के 16 आना रैयत प्रधान के दूसरी पत्नी के बेटे जोगिन्दर पहाडिया को प्रधान बनाने हेतु सहमत हैं। पूर्व प्रधान के पहली पत्नी के दोनों बेटे भी शपथ पत्र दाखिल कर जोगिन्दर पहाडिया के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु सहमति प्रदान किये हैं।

अतएव अंचल अधिकारी, तालझारी के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों की अनापत्ति के अभाव में आवेदक जोगिन्दर पहाडिया को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत प्रधानी पट्टा निर्गत किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। ततपश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

ज्ञापांक 290/रा0
दिनांक 23.7.19

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

Scanned with CamScanner